परिपत्र संख्याः एडीजी- 01 /2012

अरूण कुमार,
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
1- तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 12, 2012

विषयः विवेचनाओं का स्थानान्तरण।

प्रिय महोदय,

प्रायः देखने में आया है कि कतिपय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है।

2. विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः आरोपी पक्ष के अनुरोध पर साधारणतया विवेचनायें स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का मुखर आदेश किये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण में समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश है।

परिपत्र संख्या-डीजी-54/05 दि0 23.12.2005
परिपत्र संख्या-डीजी-15/06 दि0 06.05.2006
परिपत्र संख्या-डीजी-32/06 दि0 08.09.2006
परिपत्र संख्या-डीजी-85/07 दि0 26.09.2007
परिपत्र संख्या-डीजी-64/08 दि0 19.06.2008
परिपत्र संख्या-विशेष डीजी-03/11 दि0 03.05.11
टास्क आर्डर-डीजी-7-एचसी(3)/11 दि0 18.05.11
परिपत्र संख्या-डीजी-09/12 दि0 04.02.12

3. वादी का हित सर्वोपरि होता है। विवेचना अन्यत्र स्थानान्तरित करने की बजाय गुण-दोष के आधार पर पूर्ण निष्पक्षता से विवेचना की जाए। **सामान्यतया आरोपी पक्ष के कथन पर विवेचनाएं स्थानान्तरित न की जाए।**

4. विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो वादी पक्ष की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा।

5. अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर विवेचना का स्थानान्तरण मुख्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत अत्यन्त विशेष स्थिति में ही अनुमन्य है। ऐसे आदेश में कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसकी सूचना परिपत्र संख्या-एसडीजी-03/2011 एवं पत्र संख्या-डीजी-सात-एचसी(3)/2011 दिनांक-18.05.2011 के अनुरूप सम्बन्धित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

6. आप सहमत होंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आपका प्रथम दायित्व विवेचनाओं का सही निस्तारण सुनिश्चित कराना है। विवेचनाओं के बार-बार स्थानान्तरण से इनके निस्तारण में समय लगने, अनेक विवादों के जन्म लेने तथा विवेचकों द्वारा मनमाने ढंग से विवेचना किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

7. कुछ विवेचनाओं के स्थानान्तरण करने के निर्देश शासन स्तर से जनपदों में प्राप्त होना बताया गया है। ऐसे प्रकरणों को, जिसमें वादी के हितों की रक्षा होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो, संकलित कर मेरे कार्यालय में भेज दें जिसे परीक्षणोपरान्त विचार हेतु शासन से अनुरोध किया जा सके।

8. अतएव इस पत्र के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विवेचनाओं के स्थानान्तरण के प्रकरणों में पूर्व निर्गत निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जिनमें मुख्यतः निम्न हैः-

- केवल जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा ही विवेचना स्थानान्तरण का आदेश किया जाना।
- ऐसे आदेशों का स्वमुखरित होना।
- इसकी सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना।
- पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की समीक्षा एवं कमियों का संज्ञान लेना।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं को केवल एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया जाना।
- ऐसे स्थानान्तरण आदेश का केवल एक बार किया जाना।
- स्थानान्तरित विवेचनाओं का समयबद्ध, गुणवत्त निस्तारण सुनिश्चित कराया जाना।
- स्थानान्तरित विवेचनाओं के त्वरित निस्पादन का प्रयास किया जाना।
- अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जाना तथा इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को प्रेषित किया जाना।

कृपया तद्नुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अरूण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद, उ0प्र0। (नाम से)</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को तद्नुसार अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

12/12/12

परिपत्र संख्या-डीजी-8/2012

अतुल
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 04, 2012

प्रिय महोदय,

संज्ञान में यह बात आयी है कि कतिपय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया गया है जब कि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निदेश जारी किये गये हैं।

2. विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से आरोपी पक्ष के अनुरोध पर **साधरणतया** विवेचनायें स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का **मुखरित आदेश** किये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को **अवगत** कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण में **समयबद्ध निस्तारण** सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं।

परिपत्र संख्याः डीजी-54/05 दि0 23.12.2005
परिपत्र संख्याः डीजी-15/06 दि0 06.05.2006
परिपत्र संख्याः डीजी-32/06 दि0 08.09.2006
परिपत्र संख्याः डीजी-85/07 दि0 26.09.2007
परिपत्र संख्याः डीजी-64/08 दि0 19.06.2008
परिपत्र संख्याः विशेष डीजी-03/11 दि0 03.05.11
टास्क आर्डरः डीजी-7-एचसी(3)/11 दि0 18.05.11

3. अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर विवेचना का स्थानान्तरण मुख्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत अत्यन्त विशेष स्थिति में ही अनुमन्य है। ऐसे आदेश में कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा इसकी सूचना परिपत्र संख्या-एसडीजी-03/2011 एवं पत्र संख्या डीजी-सात-एचसी(3)/2011 दिनांक 18.5.2011 के अनुरूप सम्बन्धित अधिकारियों को दी जानी चाहिए।

4. आप सहमत होंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आपका प्रथम दायित्व विवेचनाओं का सही निस्तारण सुनिश्चित कराना है। विवेचनाओं के बार-बार स्थानान्तरण से इनके निस्तारण में समय लगने, अनेक विवादों के जन्म लेने तथा विवेचकों द्वारा मनमाने ढंग से विवेचना किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

5. अतएव इस पत्र के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विवेचनाओं के स्थानान्तरण के प्रकरणों में पूर्व निर्गत निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाए जिनमें मुख्य निम्न है :-

- केवल जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा ही विवेचना स्थानान्तरण का आदेश किया जाना।

- ऐसे आदेशों का मुखरित होना।
- इसकी सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करना।
- पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की समीक्षा एवं कमियों का संज्ञान लेना।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं को केवल एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया जाना।
- ऐसे स्थानान्तरण आदेश का केवल एक बार किया जाना।
- स्थानान्तरित विवेचनाओं का गुणवत्त, समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाना।
- अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जाना तथा इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय को प्रेषित किया जाना।

भवदीय,

4.2.

(अतुल)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से) ।

प्रतिलिपि-समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश को तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्या-डीजी-सात-एचसी(3)/2011 दिनांकः मई 18, 2011

टास्क आर्डर

विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्र संख्या-एसडीजी-03/2011 दिनांक 3-5-2011 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद में विवेचना का स्थानान्तरण पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा परिक्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है ।

2. इस सम्बन्ध में आंशिक संशोधन करते हुए विवेचना का स्थानान्तरण निम्न प्रकार किया जायेगाः-

1- वर्तमान परिवेश में किसी भी अपराध की विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जायेगा।

2- विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जायेगा तथा ऐसी विवेचनाएं जिसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाना प्राविधानित नहीं है, केवल जनपद एसआईएस शाखा को स्थानान्तरित की जायेगी।

3- पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी किसी अपराध की विवेचना जनपद एसआईएस शाखा में केवल एक बार स्थानान्तरित कर सकेगें।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सामान्यतया अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचना किसी स्तर से स्थानान्तरित न की जाय।

5- विवेचना के स्थानान्तरण के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी मुखरित आदेश पारित करेगें, जिसकी प्रति परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी निश्चित रूप से देनी होगी।

6- स्थानान्तरित विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य स्वयं पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगें कि जघन्य अपराधों की विवेचना को दो माह में तथा साधारण अपराधों की विवेचना को एक माह में निष्पक्षता से पूर्ण करा लिया जाय।

7- आवश्यकतानुसार अपरिहार्य स्थिति में जनपद से बाहर विवेचना का स्थानान्तरण परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार किया जायेगा । ऐसी विवेचनाएं जिसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाना प्राविधानित नहीं है, केवल परिक्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित एसआईएस शाखा को स्थानान्तरित की जायेगी तथा उसकी प्रति इस मुख्यालय को अवश्य दी जायेगी।

H:\Hira Lal\S-3.doc

8- विवेचना परिवर्तन के विषय में परिवर्तन का कारण स्पष्ट करते हुए परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को सूचना दी जायेगी तथा पूर्व विवेचक की विवेचना पर टिप्पणी भी की जायेगी।

9- यदि विवेचना को पुनः स्थानान्तरित करने की परिस्थितियाँ बनती है तो उसके लिये पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा।

3. परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने द्वारा स्थानान्तरित विवेचना को निष्पक्षता से शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में विवेचना कार्य लम्बी अवधि तक अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे।

4. उक्त सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने-अपने स्तर पर विवेचना स्थानान्तरित सम्बन्धी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए(स्पीकिंग आर्डर में) आदेश निर्गत करेंगें।

5. उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से करना/कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

करमवीर सिं
11.5.14

(करमवीर सिंह)

1- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस उपमहानिरीक्षक, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, एन0सी0आर0 जोन, मेरठ।